

279/22

अपीलांट्स के आविद्वता अनु। रेस्पों के
आविद्वता उप। आविद्वता अपीलांट्स को
न्यायालय समय में अलग-अलग तीन
बार बाबाय लगाई गई; उसके बावजूद पैरवी
लेतु उपास्थित नहीं हुई। अतः अपीलांट्स की
यह अपील बादम हाजरी व बादम पैरवी से
खारिज की जाती है। पत्रावली में श्रुमार
होकर नम्बर से कम हो व दामिल दफतर हो।
अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लाया जावे।

जिला कलक्टर
बाडमेर